# न्यायालय–भास्कर मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

## //विविध आदेश//

क्रमांक–क्यू/सी.जे.एम./2026 कांकेर, दिनांक 31–10–2026

मैं, भास्कर मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय कांकेर के क्षेत्राधिकार में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य माह नवम्बर 2026 के शासकीय अवकाश के लिये निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूं ।

| श्री निखिल साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर | सुश्री आयुषी शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर | श्री हिमांशु चन्द्राकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर | श्री मयंक ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर |
|---|---|---|---|
| दिनांक | दिनांक | दिनांक | दिनांक |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 06.11.2026 | 09.11.2026 |
| 10.11.2026 | 22.11.2026 | 07.11.2026 | 14.11.2026 |
| 11.11.2026 | 24.11.2026 | 08.11.2026 | 15.11.2026 |
| | 29.11.2026 | | |

**टीप– 01** उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी तिथि को 3.00 बजे से 5.00 बजे अपने न्यायालयीन स्टॉफ के साथ अपने न्यायालय कक्ष में आवश्यक दाण्डिक कार्य सम्पादित करेंगे । यदि कोई मजिस्ट्रेट किन्ही कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहते है या अवकाश लेते है तो पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे एवं रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन के पश्चात ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर मुख्यालय छोडेंगे ।

**02.** यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहता है तो कार्य विभाजन पत्र के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर रिमाण्ड परिवर्तन किया जा सकेगा ।

**03.** यदि माह सितम्बर 2026 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो जिला मुख्यालय कांकेर में श्री निखिल साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे ।

**04.** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर एवं पखांजुर अपने–अपने न्यायालय के क्षेत्राधिकार के थानो की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे ।

**05.** न्यायिक मजिस्ट्रेटो के अवकाश में रहने पर कार्य विभाजन आदेश के अनुसार अत्यावश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित किया जावेगा ।

**प्रतिलिपिः–**

01 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।

02 माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पखांजूर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।

03 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।

04 माननीय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।

05 श्रीमती अम्बा शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/श्रीमती अंकिता तिग्गा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर/श्री ध्रुवराज ग्वाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पखांजूर/श्री निखिल साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/सुश्री आयुषी शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/ श्री हिमांशु चंद्राकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/श्री मयंक ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

06 कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

07 पुलिस अधीक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, उ.ब. कांकेर को तत्संबंध में आवश्यक रुप से सूचित करने एवं यह निर्देश जारी करने कि निर्धारित समय पर ही रिमाण्ड पेश करें ।

08 जिला वन मंडलाधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिले के समस्त रेंज अधिकारियों को सूचित करें ।

09 जिला खाद्य अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

10 जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करे ।

11 जिला परिवहन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

12 अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उ.ब. कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

13 जिला अभियोजन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

14 चीफ लिगल एण्ड डिफेंस कौंसिल कांकेर को सूचनार्थ ।

14 कम्प्यूटर अनुभाग, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

Bajpai

(भास्कर मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर